दिनांक 17.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के जनपद एवं कमिश्नरेट में आयोजित होने वाले विभिन्न धर्मों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के सम्बन्ध में सतर्कता व अभिसूचना संकलन हेतु दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को प्रदेश के जनपद एवं कमिश्नरेट में आयोजित होने वाले विभिन्न धर्मों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के सम्बन्ध में सतर्कता व अभिसूचना संकलन हेतु मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः–

- प्रदेश के विभिन्न जनपद, कमिश्नरेट में विभिन्न धर्मो के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसमें दूसरे जनपदों व प्रान्तों से बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होने हेतु आवागमन करते हैं। प्रदेश के जनपद, कमिश्नरेट से भी लोग इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु विभिन्न स्थानों पर जाते है। इस सम्बन्ध में **STF** द्वारा अवगत कराया गया है तथा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछतांछ व छानबीन से पाया गया है कि **कतिपय घटनाओं में कुख्यात एवं शातिर अपराधियों द्वारा घटना कारित करने के पश्चात अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु विभिन्न राज्यों, जनपदों में धार्मिक कार्यकमों का उपयोग छिपने में किया जा रहा है,** जिसके दृष्टिगत प्रदेश के जनपद, कमिश्नरेट में धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व सतर्कता हेतु प्रभावी अभिसूचना संकलन किया जाना सुनिश्चित करें।
- पूर्व में **जनपद शामली में एसटीएफ व जनपदीय पुलिस के साथ बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ की घटना में निरीक्षक श्री सुनील कुमार शहीद हुये**

थे। घटना की छानबीन में यह पाया गया था कि उक्त घटना के अपराधियों द्वारा घटनाओं को कारित करने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने के लिये धार्मिक आयोजनों का सहारा लिया जाता था, जिसके दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

- समस्त कमिश्नरेट व जनपद में आयोजित होने वाले इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु आने–जाने वाले बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। इस सम्बन्ध में जनपदीय अभिसूचना तन्त्र व सोशल मीडिया सेल को सक्रिय व सतर्क कर दिया जाये। जनपदीय पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा आने व आने वाले सदस्य/व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी कर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- कार्यक्रमों के आयोजकों से वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर संवाद स्थापित करते हुये व्यक्तियों का विवरण संकलित किये जाने के सम्बंध में समुचित ब्रीफ कर यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण आयोजकों के पास मौजूद हो, जिसे मांगे जाने पर वह स्थानीय पुलिस व आसूचना संगठन को उपलब्ध करा सके।
- अपराधी अपराध करने के उपरान्त धार्मिक आयोजनों की आड़ में छिप न सके, इसके लिये धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु आने जाने वाले व्यक्तियों के पूर्ण विवरण का एक रजिस्टर बना लिया जाये तथा आने एवं जाने वालों का फोटो पहचानपत्र एवं आधार कार्ड भी चेक किया जाये। इनमें अंकित प्रविष्टियों का सत्यापन इनके मूल निवास स्थान से भी कराया जाये। प्रत्येक माह राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने–अपने सर्किल के थाना क्षेत्रों में आने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित रजिस्टर का अवलोकन/निरीक्षण करें तथा किसी भी आपराधिक प्रकृति के संदिग्ध व्यक्ति के पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

दिनांक 17.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 29/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ताजगंज

- **25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 17.03.2025 को थाना ताजगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहता चौराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मासूम 2–अभिषेक 3–सिंधपाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ताजगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त मासूम के विरूद्ध जनपद मथुरा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस समबन्ध में थाना ताजगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मासूम निवासी प्रकाश नगर थाना सिविल लाइन जनपद दतिया, म0प्र0।

2–अभिषेक निवासी प्रकाश नगर थाना सिविल लाइन जनपद दतिया, म0प्र0।

3–सिंधपाल निवासी प्रकाश नगर थाना सिविल लाइन जनपद दतिया, म0प्र0।

जनपद बागपत/थाना रमाला

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः16.03.2025 को थाना रमाला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कासिम को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रमाला पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कासिम निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना कोतवाली

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 17.03.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी काली मंदिर गली पुर्दिलपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 6500/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.03.2025 को थाना खुर्जा देहात, थाना खुर्जा नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम हसनगढ़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आकाश 2–विकास घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 6500/–रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आकाश के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त विकास के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी ग्राम बिचौला थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

2–विकास निवासी ग्राम बिचौला थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लूट के 6500/–रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद एटा/थाना अलीगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की लगभग 32 लाख रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण**
- **05 लाख 04 हजार 100 रूपये नगद**
- **10 चेक बुक, 02 बैंक की पासबुक, 01 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड आदि बरामद**

दिनॉकः 16.03.2025 को थाना अलीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला पडाव बस स्टैण्ड से 02 अभियुक्तों 1–शिवा 2–अरविन्द कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 32 लाख रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण, 05 लाख 04 हजार 100 रूपये नगद, 10 चेक बुक, 02 बैंक की पासबुक, 01 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवा निवासी मोहल्ला राधा कृष्ण कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा।

2–अरविन्द कुमार निवासी मोहल्ला राधा कृष्ण कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी की लगभग 32 लाख रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण।

2–05 लाख 04 हजार 100 रूपये नगद।

3–10 चेक बुक, 02 बैंक की पासबुक, 01 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड आदि।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 23 मोबाइल फोन, 14 डमी मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये बरामद**

दिनॉकः 17.03.2025 को थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त शमीम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 23 मोबाइल फोन, 14 डमी मोबाइल फोन, नगद रूपये बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 16.03.20025 को थाना अमरोहा नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोबाइल फोन उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमीम निवासी मोहल्ला रेता थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—चोरी के 23 मोबाइल फोन, 14 डमी मोबाइल फोन।

2—नगद रूपये।

- **जनपद गोरखपुर/थाना कैम्पियरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/404 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चुन्नु उर्फ नरसिंह को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अकुल को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————